भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2370

03 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

शहरी गरीबों के लिये योजनाएं

2370. श्री ए. राजाः

श्री ए. गणेशमूर्तिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) शहरी गरीबों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान शहरी विकास योजना के अंतर्गत, विशेष रूप से तमिलनाडु के लिए, राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है;

(ग) क्या शहरी बेरोजगार युवाओं को कोई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कितने युवाओं को अलग से प्रशिक्षित किया गया और उन्हें रोजगार दिया गया;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा आवंटित धन की निगरानी के लिए राज्य सरकार के सहयोग से कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निगरानी तंत्र के अंतर्गत की गई कार्रवाई क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ङ): शहरी विकास राज्य का विषय है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) शहरी क्षेत्रों में अपने मिशनों/योजनाओं अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), दीनदयाल अन्त्योदय योजना -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर शहरी परिवहन के तहत निधि (पीएम स्वनिधि) और शहरी परिवहन के अंतर्गत योजनाओं के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सहायता प्रदान करता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्थायी आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और असुरक्षा को कम करने के लिए तमिलनाडु सहित देश के वैधानिक शहरों में ''दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिश्न (डीएवाई-एनयूएलएम)'' नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार (ईएसटी एंड पी) घटक के तहत, शहरी गरीब उम्मीदवारों को बाजार-उन्मुख प्रमाणित पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें मजदूरी रोजगार और/या स्व-रोज़गार के अवसर मिल सकें। सामाजिक जुटाव और संस्थागत विकास (एसएमआई एंड डी) घटक में, पात्र स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 10,000/- रूपये की एकमुश्त रिवॉल्विंग फंड सहायता प्रदान की जाती हैं। मिशन एसएचजी को स्वीकृत बैंक लिंकेज ऋण पर 7% की ब्याज दर से अधिक दर पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। महिला एसएचजी को समय पर ऋण चुकाने पर अतिरिक्त 3% ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

मिशन के स्व-रोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) घटक में, शहरी गरीबों के व्यक्तिगत/समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्व-रोज़गार उद्यम/सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम और समूह उद्यम क्रमश: 2 लाख और 10 लाख रुपये के बैंक ऋण के लिए पात्र हैं। मिशन के तहत एसएचजी को लाभकारी सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों को शुरू करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सक्रिय एसएचजी ने भी अपनी बचत राशि से अपना उद्यम शुरू भी किया है।

डीएवाई-एनयूएलएम के तहत, मिशन की समग्र प्रगति और विकास की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर एक गवर्निंग काउंसिल (जीसी) और कार्यकारी समिति

(ईसी) है। शहरी स्तर पर, डीएवाई-एनयूएलएम का प्रबंधन नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित निधियों के उपयोग की निगरानी और समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसे संस्थागत ढांचे के माध्यम से किया जाता है जिसमें प्रगति रिपोर्ट, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र दौरे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा शामिल होती है। निधियों के प्रवाह और उपयोग के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मौजूदा दिशानिर्देशों का भी पालन किया जाता है।

पिछले पांच वर्षों (यानी 2018-19 से 2022-23) में डीएवाई-एनयूएलएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधि को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों (यानी 2020-21 से 2022-23) में डीएवाई-एनयूएलएम के ईएसटी एंड पी घटक के तहत तमिलनाडु में कौशल प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः 23,748 और 23,518 है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 03.08.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2370 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों (यानी 2018-19 से 2022-23) में डीएवाई-एनयूएलएम के तहत जारी और उपयोग की गई केंद्रीय निधि

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	285.01	244.98
2	अरुणाचल प्रदेश	19.61	13.14
3	असम	89.85	64.73
4	बिहार	104.50	92.29
5	छत्तीसगढ़	52.88	43.31
6	गोवा	15.55	13.58
7	गुजरात	198.93	161.71
8	हरियाणा	67.21	47.52
9	हिमाचल प्रदेश	34.91	30.12
10	जम्मू-कश्मीर	38.17	22.08
11	झारखंड	62.17	56.67
12	कर्नाटक	48.53	39.48
13	केरल	135.20	129.70
14	मध्य प्रदेश	288.85	205.97
15	महाराष्ट्र	222.85	192.04
16	मणिपुर	41.71	19.78
17	मेघालय	5.08	4.76
18	मिजोरम	53.79	43.79
19	नागालैंड	21.20	19.82

20	ओडिशा	64.06	42.88
21	पंजाब	104.02	60.53
22	राजस्थान	149.05	147.91
23	सिक्किम	4.66	2.61
24	तमिलनाडु	371.21	371.21
25	तेलंगाना	227.48	227.48
26	त्रिपुरा	43.86	23.98
27	उत्तर प्रदेश	279.93	203.88
28	उत्तराखंड	31.72	26.18
29	पश्चिम बंगाल	139.42	137.04
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.28	0.00
31	चंडीगढ़	11.12	9.85
32	दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप	0.17	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	9.14	4.94
35	लद्दाख	2.10	0.45
	कुल	**3,224.24**	**2,704.41**

****